लक्ष्मीनारायण मोदी

बनाम

भारत संघ व अन्य

{याचिका {सी} संख्या 309, 2003}

27 अगस्त, 2013

{के.एस. राधाकृष्णन व पिनाकीचन्द्र घोष, जे.जे.}

पशुओं के प्रति क्रूरता नियम {वधगृह}, 2000

बूचड़खानों के रख-रखाव, पर्यवेक्षण और आवधिक निरीक्षण- जानवरों का परिवहन, उनकी लोडिंग और अनलोडिंग, अपशिष्ट निपटान, ठोस अपशिष्ट निपटान आदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2013 और 23.08.2012 कार्यान्वयन - राज्य समितियों का कामकाज - एमओईएफ द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश - माना गया। कुछ राज्यों ने गठित समितियों के कामकाज का विवरण देते हुए कार्यवाही रिपोर्ट दायर की है कि एमओईएफ ने 27.08.2013 को राज्य समितियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यापक ढांचे को संलग्न करते हुएएक अनुपालन रिपोर्ट दायर की। बूचड़खानों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए ओर जानवरों के परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, अपशिष्ट निपटान, ठोस अपशिष्ट निपटान के संबंध में और संबंधित राज्य पशु कल्याण बोर्डों द्वारा

बूचड़खानों के आवधिक निरीक्षण के संबंध में भी यह अत्यन्त महत्वपूर्णहै कि राज्य सरकारों, राज्य पशु कल्याण बोर्डों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि को न्यायालय द्वारा 10.10.2012 को दिए गए निर्देश के अनुपालन में एमओईएफ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सावधानी से पालन करना चाहिए, तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों को इसके अलावा अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ एमओईएफ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने ओर एक कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया -पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ठोस अपशिष्ट {प्रबन्धन व संचालन} नियम, 2000 - पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम {पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए सोसायटी की स्थापना और पंजीकरण} नियम, 2000

सिविल मूल क्षेत्राधिकार- याचिका {दीवानी} संख्या 309/2003।

राकेश खन्ना, एएसजी, राज पंजवानी, संचार आनंद, मंजीतसिंह, इरशाद अहमद, एएजी, प्रणब कुमार मलिक, सी सोमा भारद्वाज {एस.एन. टेरडाल} डी.एस. चढ्ढा, प्रधुम्न गोहिल, विकास सिंह, बीना माधवन, अनिप सच्थे, साकार सरदना, एम. योगेश कन्ना, ए. संथ कुमारन, ससिकला, अनिरुद्ध पी. मायी, चारूदत्त महिन्द्राकर, मिश्रा सौरभ, आशा जी. नायर, चेतन चावला, सूर्यनारायण सिंह {प्रगति नीखरा के लिए}, अरूणा माथुर, यूसुफ खान, निशि शर्मा {अपूर्थम अरूणा व कम्पनी के लिए}, गोपाल

प्रसाद, जयेश गौरव, विभादत्ता मखीजा, एम. पी. सिंह, सुनील फर्नांडिस, इशा मीर, आस्था शर्मा, मंदीप विनायक, अंजली शर्मा, प्रवीणा गौतम, भवानीशंकर, वी. गडनीस, सुनीता बी. राव, बी.डी. शर्मा, एन. व्यास, दीप शिखा भारती, वेद पी. आर्य, एस.सी. वर्मा, कृष्णा शर्मा, रिकू शर्मा, मोहन प्रसाद गुप्ता, सुनीता शर्मा, एम. खैराती, विकास मल्होत्रा, वी.जी. प्रागसम, एस.जे. अरस्तु, प्रभू रामसुब्रमण्यम, समीर अली खान, रंजन मुखर्जी, एस.सी. घोष, एस. भौमिक, आर.पी. यादव, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्बास {गोपाल सिंह के लिए}, के. एंटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, हेशु कायना, सपम विश्वजीत मैतेई, ख. नोबिन सिंह, मुकेश वर्मा {यशपाल सिंह डिंगरा के लिए}, बी.एस. बांठिया, वी.के. वर्मा, निखिल नैय्यर, आर. अय्याम पेरूमल, प्रदीप मिश्रा, पी.वी. योगेश्वरन, धरमबीर राज वोहरा, अभिजीत सेन गुप्ता, कुलदीप सिंह, वी.एन. रघुपति, पी.वी. दिनेश, अशोक ई. श्रीवास्तव, सी.डी. सिंह, अनुव्रत शर्मा, पुनीत दत्त त्यागी, तारा चन्द्र शर्मा, कामिनी जयसवाल, संजय आर. हेगडे, मुकेश के. गिरि, शिबाशीष मिश्रा, अरूण के. सिन्हा, हेमन्तिका वाही, टी.वी. रत्नम, सुमिता हजारिका,

मोहन प्रसाद महरिया, अरूणेश्वर गुप्ता, के.आर. ससिप्रभू, नरेश के. शर्मा, अजय पाल, मणित करंजवाला, सी.के. सुचरिता।

न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया:

के. एस. राधाकृष्णन, जे. 1. हमने 09.07.2013 को एक विस्तृत आदेश पारित किया है जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई है कि क्या हमारे पहले के आदेश दिनांक 23.08.2012 के बाद गठित समितियां प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं और क्या इसके उचित कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जानवरों के परिवहन, बूचड़खानों के रखरखाव, अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट निपटान आदि के संबंध में पारित किए गए विभिन्न कानूनां के प्रावधान।

2. हमारे आदेश दिनांक 09.07.2013 के माध्यम से, हमने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के एक महीने के भीतर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट/ दाखिल करने का निर्देश दिया था। कुछ राज्यों ने गठित समितियों के कामकाज का विवरण देते हुए की गई कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल की है। हमने एमओईएफ को बूचड़खानों के कामकाज की निगरानी के लिए राज्य समितियां के प्रभावी और उचित कामकाज के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया था। हमारे निर्देश का पालन करते हुए, एमओईएफ ने दिनांक 27.08.2013 को एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की, जिसमें बूचड़खानाों की प्रभावी निगरानी और जानवरों के परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग के संबंध में राज्य समितियों द्वारा पालन की जाने वाली व्यापक रूपरेखा शामिल थी। अपशिष्ट निपटान, ठोस अपशिष्ट निपटान और संबंधित राज्य पशु कल्याण बोर्डों द्वारा बूचड़खानों के आवधित निरीक्षण के संबंध में भी।

3. हम पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए सोसायटी की स्थापना और पंजीकरण) नियम, 2000, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, ठोस अपशिष्ट के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के महत्व को दोहराते हैं। (प्रबन्धन और संचालन) नियम, 2000 ओर जानवरों के प्रति क्रूरता (वध) की रोकथाम सदन) नियम, 2000। इसके अलावा, यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि किसी भी राज्य की सरकार, राज्य पशु कल्याण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि दिये गए दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे। इस न्यायालय द्वारा 10.10.2012 को जारी दिशा-निर्देश आसान संदर्भ के लिए निम्नांकित हैं:

“ जानवरों के परिवहन और वधशालाओं के लिए दिशा-निर्देश ”

पशुपालन विभाग की जिम्मेदारियां:

बाजार से खरीदे जाने वाली किसी भी पशुधन को परिवहन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पशु चिकित्सासर्जन द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

बाजार में जानवरों की लोडिंग और अनलोडिंग और परिवहन से पहले पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारियेां द्वारा निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा का सामना न करना पड़।

उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अलावा पशुओं के परिवहन (संशोधन) नियम, 2001 के नियम 96 के अनुसार एक प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए जो सहायक निदेशक / उप निदेशक/ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे न हो।

पशुपालन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जानवरों को आवश्यकतानुसार छाया, आश्रय, भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाए और उन्हें इस तरह से सुरक्षित रूप से बांधा जाए जिससे जानवरों को आवश्यक असुविधा न हो।

पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बीमार, लंगड़े, घायल और गर्भवती पशुओं को वध क लिए नहीं ले जाया जाए।

उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जानवरों को कभी भी सिर, सींग, कान, पैर, पूंछ या शरीर के किसी अन्य हिस्से से उठाया या खींचा न जाए, जिससे अनावश्यक पीड़ा हो सकती हो।

विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेजीकरण

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक खेंप पर एक लेबल लगा होना चाहिए जिसमें मोटे लाल अक्षरों में कंसाइनर और कंसायनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो), परिवहन किए जाने वाले मवेशियों की संख्या और प्रकार और प्रदान किए गए राशन और भोजन की मात्रा दर्शाई जाएगी।

माल भेजने वालों को उस ट्रेन या वाहन के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा जिसमें मवेशियों की खेंप भेजी जा रही है और उसके आगमन का समय भी पहले से बताया जाएगा।

मवेशियों की खेंप अगली ट्रेन या वाहन द्वारा बुक की जाएगी और बुकिंग के लिए खेप स्वीकार होने के बाद उसे रोका नहीं जाएगा।

रेल या सड़क माध्यम से विभिन्न जानवरों (मवेशी) भेड़ और बकरी, सूअर के परिवहन के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश

रेलवे वैगन या वाहन में प्रति मवेशी प्रदान की जाने वाली औसत जगह दो वर्ग मीटर से कम नहीं होगी।

वाहनों से मवेशियों को लादने के लिए उपयुक्त रस्सी और प्लेटफार्म का उपयोग किया जाना चाहिए।

रेलवे वैगन के मामले में प्लेटफॉर्म पर लोडिंग या अनलोडिंग करते समय वैगन के गिराए गए दरवाजे को रैंप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मवेशियों को ठीक से चारा-पानी देने के बाद ही लादा जाएगा।

मार्ग पर पानी की व्यवस्था की जाएगी और आपात स्थिति के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ले जाया जाएगा।

यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में चारा और चारा पर्याप्त मात्रा में भंडार के साथ ले जाया जाएगा।

पर्याप्त वातानूकुलन सुनिश्चित किया जाएगा।

आपातकालीन/प्राथमिक चिकित्सा उपकरण ले जाया जाता है।

वाहन में लोडिंग और अनलोडिंग के लिये उपयुक्त रैंप और प्लेटफार्म होने चाहिए।

वाहन के फर्श पर पर्याप्त बिस्तर होना चाहिए।

वाहन ब्रेस्ट बार ठीक से लगाए जाने चाहिए।

वाहनों का रखरखाव इस प्रकार किया जाए कि चोट या कष्ट न हो।

वाहन को स्पष्ट रूप से पशुवाहक के रूप में पहचाना जाता है।

पशु/वाहन भार में अधिकतम भार का स्थायी संकेत होता है।

रेल या वाहन द्वारा मवेशियों का परिवहन हेतु नवीनतम संशोधित स्थान भत्ता नीचे तालिका 1 व 2 में दिया गया है:

तालिका - 1

मवेशी वजन - 200 किलो तक	1 वर्ग मीटर (वर्ग मीटर)
मवेशी वजन - 200-300 किलो	1.20 वर्ग मीटर
मवेशी वजन - 300-400 किलो	1.40 वर्ग मीटर

मवेशी वजन - 400 किलो से अधिक	2.0 वर्ग मीटर

तालिका - 2

सामान्य आकार के सड़क वाहनों में परिवहन करते समय मवेशियों के लिए स्थान की आवश्यकता:

		मवेशियों की संख्या			
वाहन का आकार लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग मीटर (वर्ग मीटर)	वाहन के फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (वर्ग मीटर)	200 किलो. वजन तक के मवेशी (प्रति मवेशी 1.0 वर्ग मीटर स्थान)	200-300 किलो. वजन के मवेशी (प्रति मवेशी 1.20 वर्ग मीटर स्थान)	300-400 किलो. वजन के मवेशी (प्रति मवेशी 1.40 वर्ग मीटर स्थान)	400 किलो. वजन से अधिक मवेशी (प्रति मवेशी 2.0 वर्ग मीटर स्थान)
6.9*2.4	16.56	16	14	12	8
5.6*2.3	12.88	12	10	8	6
4.16*1.9	7.904	8	6	6	4

2.9*1.89	5.481	5	4	4	2

छः घंटे से अधिक की यात्रा सहित रेल या सड़क मार्ग से भेड़ और बकरियों के परिवहन के लिए दिशानिर्देश

भेड़ और बकरियों को अलग-अलग ले जाया जाएगा, लेकिन यदि भेडें छोटी हैं तो उन्हें अलग करने के लिए विशेष विभाजन की व्यवस्था की जाएगी।

मेढ़ों और नर युवा पशुओं को एक ही डिब्बे में मादा पशुओं के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

यात्रा के दौरान पर्याप्त भोजन और चारा अंत तक पहुंचाया जाएगा, तथा पानी की सुविधा नियमित अंतराल पर प्रदान की जाएगी।

यदि कोई जानवर नीचे लेटता है तो चोट से बचने के लिए गद्दी के लिए सामग्री, जैसे पुआल, फर्श पर बिछाई जाएगी, और यह 5 सेमी की मोटाई से कम नहीं होगी।

भेड़ और बकरियों के परिवहन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां

जानवरों को तब नहीं बांधा जाएगा जब तक कि उनके बाहर कूदने का खतरा न हो और उनके पैरों को नीचे से नहीं बांधा जाएगा।

प्रत्येक वैगन में पर्याप्त वातानूकुलन प्रदान किया जाएगा। वैगन के एक तरफ के उपरी दरवाजे को खुला और ठीक से रखा जाएगा और वैगन के उपरी दरवाजे में वायर गेज बारीकी से वेल्डेड जाल की व्यवस्था होगी ताकि इंजन से जलती हुई सिंडरियों को वैगन में प्रवेश करने और आग लगने से रोका जा सके।

एक बकरी के लिए आवश्यक स्थान वही होगा जो उनी भेड़ के लिए आवश्यक है और एक माल वाहन या रेलवे वैगन में एक भेड़ के लिए आवश्यक अनुमानित स्थान नियमों में निर्धारित है।

5 या 4.5 टन क्षमता के मालवाहक वाहन, जो आम तौर पर जानवरों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, चालीस से अधिक भेड़ या बकरियों को नहीं ले जाएंगे।

बड़े मालवाहक वाहनों और वैगनों के मामले में, भेड़ और बकरियों की भीड़ और फंसने से रोकने के लिए चौड़ाई में हर दो या तीन मीटर पर विभाजन प्रदान किया जाएगा।

भेड़, बकरी या मेेमने या छः सप्ताह से कम उम्र के बच्चों के मामले में, अलग पैनल उपलब्ध कराए जाऐगे।

ध्यान दें: भेड़ और बकरियों के परिवहन के लिए आवश्यक नवीनतम स्थान भत्ता नीचे दिया गया है:

पशुओं का अनुमानित वजन किमोग्राम में	आवश्यक स्थान वर्ग मीटर में
	उनी कांटा
20 से अधिक नहीं 20 से अधिक लेकिन 25 से कम 25 से अधिक लेकिन 30 से कम 30 से अधिक लेकिन 40 से कम 40 से अधिक	0.17 0.16 0.19 0.18 0.23 0.22 0.27 0.25 0.32 0.29

रेल या सड़क मार्ग से सूअरों के परिवहन के लिए दिशानिर्देश ''सूअरों'' में सूअर, पिगलेट्स, हॉग्स, हॉग्लेट्स और सूअर के परिवार के जानवर शामिल हैं, जिनकी यात्रा छः घंटे से अधिक है।

अनिवार्य आवश्कताऐं

पशु चिकित्सक द्वारा इस आशय का एक वैद्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कि सूअर रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए स्वस्थ स्थिति में है और संक्रामक या संकामक या परजीवी बीमारी से पीड़ित नहीं है, रेल या सड़क मार्ग से सूअरों के परिवहन में प्रत्येक खेंप के साथ होना चाहिए।

उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अलावा, पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2001 के नियम 96 के अनुसार एक प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए जो सहायक निदेशक / उपनिदेशक के पद से नीचे न होः -मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।

उप-नियम (1) के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में वाहक परिवहन के लिए खेंप स्वीकार करने से इन्कार कर देगा।

उप-नियम (1) के तहत प्रमाण पत्र अनुसूची - के में निर्दिष्ट पत्र में होगा।

प्रेषक व प्रेषिति के लिए दिशा निर्देश:

प्रत्येक खेंप पर एक लेबल लगा होगा जिसमें मोटे लाल अक्षरों में भेजने वाले व पाने वाले का नाम, पता और टेलिफोन नंबर (यदि कोई हो), परिवहन किए जाने वाले सूअरों की संख्या और प्रकार और उन्हें प्रदान किए गए राशन और भोजन की मात्रा दर्शाई जाएगी।

माल भेजने वाले को उस ट्रेन या वाहन के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा जिसमें सूअरों की खेंप भेजी जा रही है और उसके आगमन का समय भी बताया जाएगा।

सूअरों की खेंप अगली ट्रेन या वाहन द्वारा बुक की जाएगी और बुकिंग के लिए खेंप स्वीकार होने के बाद उसे रोका नहीं जाएगा।

प्राथमिक चिकित्सा उपकरण सूअरों के साथ होंगे।

सूअरों को चढ़ाने और उतारने के लिए उपयुक्त रैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

रेलवे वैगन के मामले में, जब प्लेटफॉर्म पर लोडिंग या अनलोडिंग की जाती है तो वैगन के गिराए गए दरवाजे का उपयोग रैंक के रूप में किया जाएगा।

पालन करने योग्य आवश्यक सावधानियां:

रेल या सड़क मार्ग से सूअरों के समूह को परिवहन करते समय, नर युवा स्टॉक को मादा स्टॉक के साथ एक ही डिब्बे में नहीं मिलाया जाएगा।

रेल या सड़क मार्ग से सूअरों का परिवहन करते समय, यात्रा के दौरान पर्याप्त भोजन और चारा ले जाना होगा और नियमित अंतराल पर पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

रेल या सड़क मार्ग से सूअरों का परिवहन करते समय, सामग्री

यदि कोई जानवर नीचे लेटता है तो चोट से बचने के लिए गद्दी के लिए सामग्री, जैसे पुआल, फर्श पर बिछाई जाएगी, और यह 5 सेमी की मोटाई से कम नहीं होगी।

रेल या सड़क मार्ग से सूअरों का परिवहन करते समय, जानवरों को तब नहीं बांधा जाएगा जब तक कि उनके बाहर कूदने का खतरा न हो और उनके पैरों को नीचे से नहीं बांधा जाएगा।

रेल द्वारा सूअरों के परिवहन में रेल यात्रा के दौरान स्थान की आवश्यकता:

किसी भी रेलवे वैगन में नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट संख्या से अधिक सूअरों को नहीं रखा जाएगा:

ब्रॉड गेज (1)		मीटर गेज (2)		नैरो गेज (3)
वैगन का क्षेत्रफल 21.1 वर्ग मीटर से कम सूअरों की संख्या 35	वैगन का क्षेत्रफल 21.1 वर्ग मीटर और उससे अधिक सूअरों की संख्या 50	वैगन का क्षेत्रफल 12.5 वर्ग मीटर से कम सूअरों की संख्या 25	वैगन का क्षेत्रफल 12.5 वर्ग मीटर और उससे अधिक सूअरों की संख्या 30	अनुमति नहीं

प्रत्येक वैगन में पर्याप्त वातानूकुलन प्रदान किया जाएगा। वैगन के एक तरफ के ऊपरी दरवाजे को खुला और ठीक से रखा जाएगा और वैगन के ऊपरी दरवाजे में वायर गेज बारीकी से वेल्डेड जाल की व्यवस्था होगी ताकि इंजन से जलती हुई सिंडरियों को वैगन में प्रवेश करने और आग लगने से रोका जा सके।

सड़क यात्रा के दौरान स्थान की आवश्यकता:

सड़क मार्ग से सूअरों का परिवहन:

5 या 4.5 टन क्षमता के मालवाहक वाहन, जो आम तौर पर जानवरों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, बीस से अधिक सूअर नहीं ले जाऐंगे।

बड़े माल वाहनों और कंटेनरों के मामले में, सूअरों की भीड़ और फंसने से रोकने के लिए चौड़ाई मंे हर दो या तीन मीटर पर विभाजन प्रदान किया जाएगा।

छः सप्ताह से कम उम्र के सूअरों के मामले में, अलग पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोटः रेल के माध्ये से ला जाए जा सकने वाले सूअरों की संख्या पर नवीनतम अपडेट नीचे दिया गया है:

''ब्रॉड गेज (1)
वैगन का क्षेत्रफल
वीपीयू का फर्श क्षेत्रफल 63.55 वर्ग मीटर है सूअरों की संख्या 104 (0.61 वर्ग मीटर प्रति सूअर)''

(2) वाहन के माध्यम से ले जाए जा सकने वाले सूअरों की संख्या पर नवीनतम अपडेट नीचे दिया गया है:

		सड़क वाहनों के लिए सूअरों की अधिकतम संख्या की अनुमति			
क्र. सं.	पशु का प्रकार	वाहन का आकार 5.6 मीटर गुणा 2.35 मीटर	वाहन का आकार 5.15 मीटर गुणा 2.18 मीटर	वाहन का आकार 3.03 मीटर गुणा 2.18 मीटर	वाहन का आकार 2.9 मीटर गुणा 2.0 मीटर
1.	दूध छुडाकर स्वतंत्र	43	37	22	19
2.	युवा	31	26	15	13
3.	व्यस्क	21	18	10	9

नोटः सभी नस्लों, उम्र और लिंग के सूअरों के लिए निम्नलिखित स्थान भत्ते लागू होंगे:

वीनर - सूअर जिसे अभी स्वतंत्र पालन-पोषण के उद्देश्य से मां से अलग किया गया हो और आमतौर पर इसका वजन 12 किलो से 15 किलो के बीच होता है।

युवा - नर या मादा सूअर जो 0.3 से 0.6 माह की उम्र के बीच और आमतौर पर वजन 15 किलो से 50 किलो के बीच होता है।

व्यस्क - 06 माह से अधिक उम्र का नर या मादा सूअर और वजन 50 किलो से अधिक हो।

सामान उतारने और जब तक जानवरेां का वध न हो जाए, तब तक विशिष्टताओं का पालन किया जाना चाहिए:

बूचड़खाने के रिसेप्शन में वाहनों या रेलवे वैगनों से जानवरों को सीधे उतरने के लिए उचित रैंप होंगे और उक्त रिसेप्शन क्षेत्र में जानवरों को खिलाने और पानी पिलाने के लिए पर्याप्त सुविधा होगी।

पशुओं को उतारने की निगरानी पशुपालन अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

बूचड़खाने में संक्रामक और संक्रामक रोगों से पीड़ित होने के संदेह वाले जानवरो और हिंसक जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था के साथ अलग-अलग अलाव बाड़े उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें अलग किया जा सके।

बूचड़खाने पर शेष पशुओं के शव-परीक्षण और कलम क्षेत्र को पक्का कर दिया जाएगा।

वध किए जाने वाले जानवरों की श्रेणी के अनुसार बूचड़खाने में पर्याप्त होल्डिंग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा और उक्त होल्डिंग क्षेत्र में पानी और भोजन की सुविधाएं होगी।

बूचड़खाने में आरामगाहों में ओवरहेड सुरक्षात्मक आश्रय होंगे, जिनमें अभेद्य साम्रगी होगी जैसे कि कंक्रीट, गैर फिसलन वाली हेरिंग-हड्डी, जो खुरों या ईंटो को टूट-फूट के लिए उपयुक्त हो, और उपयुक्त जल निकासी सुविधाआंे और उक्त अभेद्य सामग्री के कर्ब से सुसज्जित हो। प्रवेश द्वार को छोड़कर, पशुधन बाड़े क्षेत्र की सीमाओं के आसपास 300 मिमी उंचाई प्रदान की जाएगी और ऐसे बाड़े को अधिमानतः कवर किया जाएगा।

पशु चिकित्सा निरीक्षण के बाद प्रत्येक जानवर को वध से पहले 24 घंटे के लिए आराम करने के लिए लेरेज में भेज दिया जाएगा।

बूचड़खाने के शौचालय का आकार इतना होना चाहिए कि उसमें रखे जाने वाले पशुओं की संख्या पर्याप्त हो।

ऐसे लैरेज के पेन में प्रदान की गई जगह 2.8 वर्ग मीटर से कम नहीं होगी। प्रति बड़े जानवर और 1.6 वर्ग मीटर प्रति छोटा जानवर।

जानवरों को उनके प्रकार और वर्ग के आधार पर अलग-अलग ऐसे शौचालयों में रखा जाएगा और ऐसे शौचालयों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि जानवरों को गर्मी, ठंड और बारिश से बचाया जा सके।

लेयरेज में पानी देने और पोस्टमार्टम निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होगी।

पशु होल्डिंग क्षेत्र में भोजन और पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाऐगी

कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी जानवर का वध नहीं करेगा, सिवाय उस बूचड़खाने के थम्मों के, जो उस समय लागू कानून के तहत अधिकृत संबंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त हो।

कोई भी जानवर जो गर्भवती है, या उसकी संतान तीन महीने से कम उम्र की है, या तीन महीने से कम उम्र की है या पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि वह वध करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है, उसका वध नहीं किया जाएगा।

बूचड़खाने में पशु चिकित्सा निरीक्षण के अधीन पशुधन के लिए पर्याप्त आकार का स्वागत क्षेत्र होना चाहिए।

पशु चिकित्सक एक घंटे में 12 से अधिक पशुओं तथा एक दिन में 96 से अधिक पशुओं की गहन जांच नहीं करेगा।

पशु वध की विधि एवं प्रक्रिया

किसी भी जानवर को अन्य जानवरों के सामने बूचड़खाने में नहीं काटा जाएगा।

वध से पहले किसी भी जानवर का किसी विशिष्ट बीमारी या बीमारी के इलाज के लिए दवा के अलावा कोई भी रसायन, दवा या हार्मोन नहीं दिया जाएगा।

किसी बूचड़खाने में स्लॉटर हॉल अलग-अलग जानवरों के वध के लिए पर्याप्त आयामों के अलग-अलग खंड उपलब्ध कराएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वध किए जाने वाले जानवर अन्य जानवरों के दायरे मं न हो।

बूचड़खाने में खटखटाने वाले अनुभाग की योजना इस प्रकार बनाई जा सकती है कि वह पशु और विशेष रूप से अनुष्ठान वध, यदि कोई हो, के अनुरूप हो और ऐसा खटखटाने वाला अनुभाग और उससे जुड़ा शुष्क लैंडिंग क्षेत्र इस प्रकार होना चाहिए।

यह बनाया गया है कि जानवर को भागने की बाधा को पार करने की अनुमति दिए बिना इस खंड से भागने को एक ऑपरेटर द्वारा आसानी से किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत व्यापक रूपरेखा और उसके तहत बनाए गए नियम:

प्रवाह निपटानः

पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के तहत अधिसूचित समृद्ध निपटानमानक है:

वर्ग	मानक	एकाग्रता, मिलीग्राम/1 से अधिक नहीं होनी चाहिए
ए. वधशाला		
70 टीएलडब्लूके/ दिन से अधिक	बीओडी (27 डिग्री सेल्सियस पर 3 दिन) निलंबित ठोस तेल व चर्बी	100 100 10
70 टीएलडब्लूके/ दिन से कम	बीओडी (27 डिग्री सेल्सियस पर 3 दिन)	500
बी. मांस प्रसंस्करण		
	बीओडी (27 डिग्री सेल्सियस पर 3 दिन) निलंबित ठोस	30 50 10

	तेल व चर्बी	

ध्यान दें: (1) टीएलडब्लूके - मारे गये टनों जीवित वजन, (2) नगर निगम के सीवर में निपटान के मामलों में जहां सीवेज का उपचार किया जाता है, उद्योगों को स्क्रीन और तेल और ग्रीस पृथक्करण इकाईयां स्थापित करनी होंगी, (3) जिन उद्योगों के मांस के साथ वध होता है प्रसंस्करण इकाईयों पर विचार किया जाएगा।

जहां तक मानकों का संबंध है, मांस प्रसंस्करण श्रेणी ए है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राप्तकर्ता प्रणाली की गुणवत्ता की आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त से अधिक कड़े मानक निर्दिष्ट कर सकता है।

ठोस अपशिष्ट निपटान:

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 के अनुसार, बूचड़खाने से निकलने वाले अपशिष्ट- मांस और मछली बाजार, फल और सब्ली बाजार, जो प्रकृति में बायोडिग्रेडेबल हैं, ऐसे अपशिष्टों का उपयोग करने के लिए प्रबंधन किया जाएगा।

स्लॉटर हाउस का निरीक्षण: (1) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या राज्य पशु कल्याण बोर्ड या कोई भी व्यक्ति जो योग्य पशु चिकित्सक है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अधिकृत है, हर छः महीने की अवधि में कम से कम एक बार बिना किसी स्लॉटर हाउस का निरीक्षण कर सकता है। यह

सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है, कामकाजी घंटो के दौरान किसी भी समय इसके मालिक या इसके प्रभारी व्यक्ति को नोटिस।

(2) उपनियम (1) के तहत''

निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ-साथ नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण को कानूनी कार्यवाही शुरू करने, यदि कोई हो, सहित उचित कार्यवाही के लिए भेजेगा। इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में।

4. हम सभी राज्य सरकारों / यूटीएस और गठित समितियों का उपर्युक्त दिशानिर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन करने का निर्देश देते हैं। आगे के निर्देश देने के लिए प्रारंभ में हम तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों को पहले उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ एमओईएफ द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने और कार्यवाही दर्ज करने का निर्देश देना चाहते हैं। तीन माह के अंदर ली रिपोर्ट महीनों बाद की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ पोस्ट करें। उपर्युक्त राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश संप्रेषित करें।

आर.पी.

मामला स्थिगित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ममता चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।